

- (p) against serial number 77, in the entry in column (3), in item (c), for the words “five thousand”, the words “seven thousand five hundred” shall be substituted;
- (q) against serial number 81, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -
“Services by way of right to admission to-
- (a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;
- (b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;
- (c) recognised sporting event;
- (d) planetarium,

where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs 500 per person.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

अधिसूचना

संख्या 03/2018- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-3/2018/वाक/पांच(10). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ 10-43/2017/वाक/पांच (81) तारीख 28 जून 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में तारीख 29 जून 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5क	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति ।

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
- ‘(च) किसी “बीमा अभिकर्ता” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।’ ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-3/2018/वाक/पांच(10). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-3/2018/वाक/पांच (10), दिनांक 25-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 25th January 2018

NOTIFICATION
No. 03/2018 – State Tax(Rate)

No. F-10- 3/2018/CT/V (10). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.13/2017- State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V(81) dated the 28th June, 2017 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017.”;

- (ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely : -

‘(f) “insurance agent” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).’.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.